REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 ंस्w Delhi Dated

Here Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1252]

No. 12521

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2010/ज्येष्ठ 28, 1932

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2010/JYAISTHA 28, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2010

का.आ. 1480(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पिठत उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए लोकहित में बिनौले के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और अन्य पहलुओं को विनियमित करने के आशय से उक्त अधि नियम की अनुसूची में बिनौले को शामिल करने की अविध को 21 जून, 2010 के पश्चात् छह मास के लिए विस्तारित करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 3267(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

> [फा. सं. 15/1/2007-ई सी आर एंड ई] राजीव अग्रवाल, सचिव

टिप्पण.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में 'बिलौले' को शामिल करने के लिए मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में संख्या का.आ. 3267 (अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2010

S.O. 1480(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 2A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, with the intent to regulate the production, quality, distribution and other aspects of cotton seed in the public interest, hereby extends the period of inclusion of cotton seed in the Schedule to the said Act for six months beyond 21st day of June, 2010; and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) number S.O. 3267(E), dated the 22nd December, 2009, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, for the words "six months", the words "one year" shall be substituted.

[F. No. 15/1/2007-ECR&E]

RAJIV AGARWAL, Secy.

Note:—The principal notification for inclusion of "cotton seed" in the Schedule to the Essential Commodities Act, 1955 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 3267(E), dated the 22nd December, 2009.

2384 GI/2010